

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारा

दिनांक : 25.4.19

क्रमांक : 117

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारा।

विषय :- Diversion of 2.50 ha of forest land for construction of (Online Proposal No :-

FP/RAJ/ROAD/6996/2014) road from Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP in
Raj. In Baran Forest Division.

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवस/17-18 9442-44 दिनांक 19.07.2017

गणेशदाय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

क्र.सं. शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्तर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.50 है० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.50 है० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.50 है० पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.50 है० X 164100/- रु. प्रति हैक्टर की दर से राशि 410250/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.50 है० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 3	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। (ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई- रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन.पी.वी हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तत्पश्चात् ही निश्चित स्वीकृति पर विचार किया	शर्त संख्या 3 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये- (2.50 है० X Rs. 6.26 लाख प्रति है०) की दर से राशि रु. 1565000/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.4.19 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। (ख) ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई- रसीद की छाया प्रति संलग्न है।

	जाएगा। (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई घनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	(ग) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई राशि के भुगतान को जमा कराने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 4	विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।	शर्त संख्या 4 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. लिलरो द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। मक डिस्पोजल योजना कार्य अनुमति (Working Permission) के पूर्व प्रेषित की जाएगी।	शर्त संख्या 5 के तहत वन क्षेत्र में मक डिस्पोजल योजना बनाकर इस कार्यालय से स्वीकृत कराकर प्रेषित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या 6 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं करने की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	शर्त संख्या 7 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 8	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।	वन विभाग से सम्बन्धित है।


 (आर.के. सोनी)
 अधिशाषी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

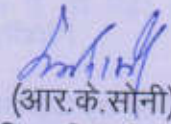
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6996/2014 (2.50 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।



(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

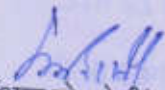
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6996/2014 (2.50 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 (ग) की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।


(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

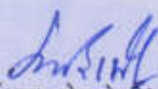
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6996/2014 (2.50 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।


(आर.के.सोनी)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6996/2014 (2.50 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन नहीं किया जायेगा।

(आर.के.सोनी)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

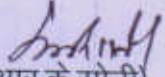
क्रमांक :

दिनांक : 25.04.2019

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6996/2014 (2.50 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि भंवरगढ़ से रनवासी सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क निर्माण में किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।


(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

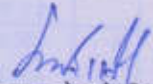
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6996/2014 (2.50 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।


(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 10340-20

दिनांक:- 7 फरवरी, 2017

- आदेश :-

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एक्ज में 102.34 हे० गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र क्रमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/6814-20 दिनांक 18.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट-अपाटी) की गई है।

उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पत्र क्रमांक एफ()एफ.सी.ए./उपस/14-15/16782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/ 6528-29 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(266)राज.-3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं०	एकड़ (है०)	भूमि की किस्म
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20	बंजड़
			41	5.00	बंजड़
			42	6.52	बंजड़
			114	5.80	गैर मुमकिन बरडा
			115	9.58	गैर मुमकिन बरडा
			116	7.70	बंजड़
			133	10.81	बंजड़
			149	3.63	बंजड़
2		सौरसन	8 किता	62.24	गैर मुमकिन बरडा
			176	19.76	गैर मुमकिन बरडा
			177	19.15	गैर मुमकिन बरडा
3		ताखा	2 किता	38.91	गैर मुमकिन बरडा
		कुल योग	11 किता	2.25	गैर मुमकिन बरडा
				103.40 है०	

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दखलद किया जावे।

(डॉ. एस. पी. सिंह)
जिला कलक्टर
बारां

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 10340-20

दिनांक:- 7 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां।
4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
5. तहसीलदार, अन्ता को भेजकर लेख है कि आशुतल नाम का राजस्व रिकार्ड में अमल दखलद कर पालना भिजवावे।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां।
7. रक्षित पत्रावली।

(Signature)

जिला कलक्टर
बारां

Land to be allotted to Forest Department

PWD circle Baran

21/09/14
1519

As on 11.09.2014

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare)	Remark
1	2	3	4	5	6	18
Old Cases						
1	Chhabra	Chipabarod	PMGSY	पाटरी से भटगांव		
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	नामोनी से मोहनपुर योग	1.50	
					2.60	
					4.10	
New Cases						
1	Chhabra	Chhabra	5054 / RURAL ROAD	हिंगलोट से मदनखेड़ी बाया हरिपुरा	3.00	
2	Chhabra	Chhabra	5054/ SHW	कोटा धरनाथदा सड़क	13.58	
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	खल्दा से खल्दी	0.61	
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	कदीली से लाटखेड़ा ✓	3.20	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	माधोपुरा से जैतपुरा ✓	4.00	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	ढिकोनिया से तलापड़ा ✓	7.50	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नेहरूपुरा से झिरी ✓	4.00	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	बिची से रामपुर उपरेटी	2.50	
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एन.एच-76 किमी. 573/0 से घुआ ✓	2.60	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर से बरारा	0.55	
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	गरखा से जैसवा ✓	4.00	
12	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (RSAMB)	करवागना से बमनगंवा ✓	5.20	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	उनी कंदारकुई से सिलोरा ✓	3.00	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	ख्यावदा से हरिपुरा ✓	1.00	
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलवाड़ा से किशनपुरा ✓	3.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गोरघनपुरा से घट्टा ✓	0.50	
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खण्डेला से हलावनी ✓	2.00	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	बीलखेड़ा डांग से पाटन ✓	1.00	
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	कंदारकुई से मुहाल ✓	7.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	भंवरगढ़ से रनवासी ✓	2.50	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवासी से रनवासा ✓	0.80	
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गोरघनपुरा से कालीमाटी ✓	3.00	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रामगढ़ काला पट्टा सड़क किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा ✓	2.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	करवरी खुर्द से बामनदेह ✓	4.20	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लकड़ाई से मामली बाया दुर्जनपुरा ✓	1.00	
26	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	मामली लक्ष्मीपुरा पटपडी सड़क ✓	3.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर मुण्डियर सड़क (रामपुर उपरेटी) से ईसाटोरी ✓	4.00	
28	NH Division	Atru		कवाई	3.25	

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare)	Remark
1	2		3	4	6	18
29	NH Division	Atru		खेडली गादिवा	1.02	
30	NH Division	Atru		सिगनी जागीर	1.21	
31	NH Division	Chipabarod		बरडावदा	0.44	
32	NH Division	Chipabarod		कालपा जागीर	1.66	
33	NH Division	Chipabarod		नयापरा	4.92	
				योग	98.24	
				कुल योग	102.34	

Handwritten signature

(मुनिरा माथुर)
अधीक्षक अभियंता
साठनिविड वृत्त बीरा

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169960571
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/7/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Amount(in Rs)	1975250/-

Amount in Words : Nineteen Lakh Seventy-Five Thousand Two Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169960571 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169960571
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/7/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(in Rs)	1975250/-

Amount in Words : Nineteen Lakh Seventy-Five Thousand Two Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169960571 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Payment done by
T.V.No - 3749
23/4/19

उपकायधिकारी
शाहबाद (जिला-बारा)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169960571
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/7/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Amount(in Rs)	1975250/-

Amount in Words : Nineteen Lakh Seventy-Five Thousand Two Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169960571 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169960571
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/7/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(in Rs)	1975250/-

Amount in Words : Nineteen Lakh Seventy-Five Thousand Two Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169960571 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

T.V.No. 3749
22/4/19

उपकायधिकारी
शाहबाद (जिला-बारा)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : 759

दिनांक : 11-09-2020

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :- Diversion of 2.50 ha. Of forest land for construction of road
from Bhanwargarh road to Ranwasi under RRSMP in Raj. In Baran forest
Division. के संबंध में।

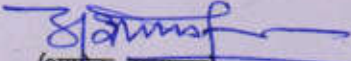
(प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/6988/2014) (2.50 हे.)

संदर्भ :- आपका पत्रांक एफ.सी.ए./उवसं/19-20/ 3463 दिनांक 11.04.2020 एवं
श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), जयपुर का पत्र क्रमांक एफ.14 ()
2014/बारां रोडस/एफसीए/प्रमुवसं/1940-41 दिनांक 24.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों की
बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

क्र.सं.		
1	राज्य में वेज रेट परिवर्तन होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दरों में परिवर्तन हुआ है। अतः अब शर्त संख्या 2 से 2.5 हे. क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रुपये 1,64,100/- प्रति हे. की दर से रुपये 4,10,250/- केम्पा नई दिल्ली में ऑनलाईन जमा करा रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करें।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.50 हे. पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.50 हेक्टर X 164100/- रुपये प्रति हेक्टर की दर से राशि 410250/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कॉर्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.50 हे. गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई है। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
2	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवायें	संलग्न कर दी गई है।


(अशोक सनाद)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

rediffmail

Mailbox of pwd_shahabad

Subject: Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

From: monitoring-fc@nic.in on Thu, 18 Apr 2019 13:00:59

To: pwd_shahabad@rediffmail.com

Cc: monitoring-fc@nic.in

This is to acknowledge that demand details submitted by User Agency have been verified by Nodal Officer and found to be correct. Detail of Proposal are given below.

Proposal Detail

1. Proposal No. : FP/RJ/ROAD/6996/2014
2. Proposal Name : Road from Bhanwargarh to Ranwasi
3. Category of the Proposal : Road
4. Date of In-principle : 08/09/2014
5. Name of the Applicant with Contact Details

Name	PUBLIC WORKS
Mobile No.	DEPARTMENT
Email ID	: 9414286802
State	: pwd_shahabad@rediffmail.com
District	: Rajasthan
Pincode	: Baran
	: 325217

Funds Demand Details

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Compensatory Afforestation | : Rs. 410250/- |
| 2. Additional Compensatory Afforestation | : Rs. 0/- |
| 3. Penal Compensatory Afforestation | : Rs. 0/- |
| 4. Catchment Area Treatment | : Rs. 0/- |
| 5. Safety Zone | : Rs. 0/- |
| 6. Additional Charges for protected area | : Rs. 0/- |
| 7. Net Present Value (NPV) | : Rs. 1565000/- |
| 8. Other Charges | : Rs. 0/- |
| 9. Other Charges1 | : Rs. 0/- |
| 10. Other Charges2 | : Rs. 0/- |
| 11. Other Charges3 | : Rs. 0/- |
| Total Amount | : Rs. 1975250/- |

User Agency is requested to make above mentioned payment after generating challan through the system.


(अशोक समाधी)
अधिसापथी अभियन्ता
अ.नि.वि. सण्ड शाहाबाद

18-Apr-19

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 22-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169960571
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/7/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Amount(in Rs)	1975250/-

Amount in Words :Nineteen Lakh Seventy-Five Thousand Two Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169960571 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcompa@corpbank.co.in

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 22-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169960571
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/7/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(in Rs)	1975250/-

Amount in Words :Nineteen Lakh Seventy-Five Thousand Two Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169960571 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

(अशोक सनाढ्य)

अधिकाारी अमियन्ता

अ.नि.वि. छण्ड शाहाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

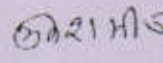
प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला स्तर पर बाराँ द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 है०) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम ताखा की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि वाणिज्यिक कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेंसी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर)
1		ताखा	368	2.25
		कुल	1 किता	2.25

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक  (नरेंद्र शर्मा (ब.र.))

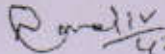
2 नाका प्रभारी  06/09/17

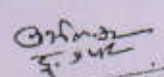
3 क्षेत्रीय वन अधिकारी


क्षेत्रीय वन अधिकारी

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बाराँ

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी  6/9/17

2 कानूनगो 
कानूनगो
6-9-17

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बाराँ


(अशोक सनाइय)
अतिरिक्त अमियन्ता
प.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

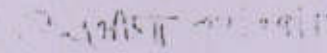
कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

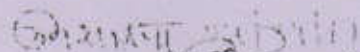
प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिनका गन्नावर बार्न द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 हे०) वन विभाग के नाग आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता गाम मोरसन की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि मानकीय कार्य एवं उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई औचित्य एवं व्यापिक प्रकरण विचारधीन नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि सूत्र एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	गाम	संख्या नं.	रकबा (हेक्टर)
1		मोरसन	1175	19.76
			1173	19.15
		योग	2 किता	38.91

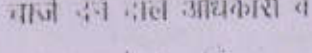
हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक 

2 नाका प्रभारी 

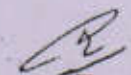
3 क्षेत्रीय वन अधिकारी 

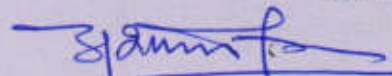
हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 जन्म पट्टा 

2 वनभूमि 

राजीव कपूर
रूप वन संरक्षक
बाराँ


राजीव कपूर
रूप वन संरक्षक
बाराँ


(अशोक सेनादय)
अतिरिक्त अभियन्ता
अ.नि.वि. खण्ड हाहाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला सरकार द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 है०) वन विभाग के नाम आरॉटिड की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम बिलेण्डी की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि जांचकी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अधिकरण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एक्लेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर)
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20
			41	5.00
			43	6.52
			114	5.60
			115	9.58
			116	7.70
			138	10.81
			149	3.63
		योग	योग	62.24

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक 122 (नरेंद्र शर्मा (व.र.))

2 नाका प्रमारी किशोर्भीना 06/09/17

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

अन्ता जिला बारी

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारी

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी उपरोक्त भूमि (लीगल) के लिए

6/9/17

2 कानूनगो 6-9-17

(अशोक सनादय)
अधिसापी अभियन्ता
अ.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारी

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

म का नाम :- ताखा

अंतिम चोसला आधार सम्बत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से
स्थायी

पटवार हल्का :- मानपुरा

भू.अभि.ति. :- खजूरनाकला

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

तहसील :- अन्ता

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

जिला :- बाराँ

खाता संख्या नया :- 105

खाता संख्या पुराना :- 100

काश्तकार का नाम:-

1. उपवन संरक्षक बाराँ वन विभाग हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

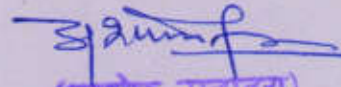
खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
368	2.2500	जंगलात	2.2500	0.00		
कुल खसरे - 1	2.2500		2.2500			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

NIC


(अशोक सनाइय)
अतिरिष्टी अभियन्ता
ज.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

का नाम :- सोरसन

अंतिम चौसला आधार सम्बत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से
स्थायी

पटवार हल्का :- सोरसन

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

भू.अभि.नि. :- सोरसन

क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर

तहसील :- अन्ता

खाता संख्या नया :- 617

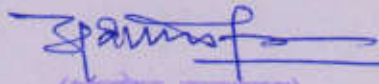
जिला :- बारौ

खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग 293 हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1173	19.1500	गै.मु.जंगल 19.1500	0.00		
1175	19.7600	गै.मु.जंगल 19.7600	0.00		
1176	2.0000	गै.मु.जंगल 2.0000	0.00		
1177	18.6600	गै.मु.बरडा 18.6600	0.00		
1527	26.0000	गै.मु.जंगल 26.0000	0.00		
1528	32.8500	गै.मु.जंगल 32.8500	0.00		
1529	31.5000	गै.मु.जंगल 31.5000	0.00		
1530	17.6000	गै.मु.जंगल 17.6000	0.00		
1531	21.0000	गै.मु.जंगल 21.0000	0.00		
1532	20.0000	गै.मु.जंगल 20.0000	0.00		
1533	15.0000	गै.मु.जंगल 15.0000	0.00		
1543	12.4900	गै.मु.जंगल 12.4900	0.00		
1544	11.4500	गै.मु.जंगल 11.4500	0.00		
1548	24.3600	गै.मु.जंगल 24.3600	0.00		
1552	20.0000	गै.मु.जंगल 20.0000	0.00		
1781	15.2600	गै.मु.जंगल 15.2600	0.00		
1784	6.3100	गै.मु.जंगल 6.3100	0.00		
1785	9.0000	गै.मु.जंगल 9.0000	0.00		
1786	9.0000	गै.मु.जंगल 9.0000	0.00		
1787	9.0000	गै.मु.जंगल 9.0000	0.00		
1788	9.0000	गै.मु.जंगल 9.0000	0.00		
1789	9.0000	गै.मु.जंगल 9.0000	0.00		
1790	13.3400	गै.मु.जंगल 13.3400	0.00		
1791	6.0000	गै.मु.जंगल 6.0000	0.00		
1795	12.0000	गै.मु.जंगल 12.0000	0.00		
1796	11.1000	गै.मु.जंगल 11.1000	0.00		
1796/1968	0.9000	गै.मु.जंगल 0.9000	0.00		
1797	8.0000	गै.मु.जंगल 8.0000	0.00		
1798	12.0000	गै.मु.जंगल 12.0000	0.00		
1799	7.5600	गै.मु.जंगल 7.5600	0.00		
2136/1524	20.0600	गै.मु.जंगल 20.0600	0.00		


(असोफ सनाइय)
अधिसाधी अभियन्ता
अ.नि.वि. सण्ड शाहाबाद

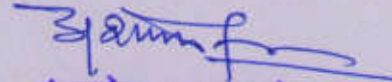
21.3800	गै.मु.जंगल	21.3800	0.00
16.0600	गै.मु.जंगल	16.0600	0.00
176 16.0600	गै.मु.वरडा	16.0600	0.00
खसरे - 34	502.8500	502.8500	

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

NIC


(अशोक सिन्हा)
 अधिशासी अभियन्ता
 प.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

म का नाम :- बिलेण्डी

अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से
स्थायी

पटवार हल्का :- मानपुरा

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

भू.अभि.नि. :- खजूरनाकला

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- अन्ता

खाता संख्या नया :- 78

जिला :- बाराँ

खाता संख्या पुराना :- 78

काश्तकार का नाम:-

1. उप वन सरक्षक बारा वन विभाग हेतु हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
114	5.8000	गै.मु.बरडा 5.8000	0.00			
115	9.5800	गै.मु.बरडा 9.5800	0.00			
116	7.7000	गै.मु.बरडा 7.7000	0.00			
138	10.8100	गै.मु.बरडा 10.8100	0.00			
49	3.6300	गै.मु.बरडा 3.6300	0.00			
39	13.2000	गै.मु.बरडा 13.2000	0.00			
41	5.0000	गै.मु.बरडा 5.0000	0.00			
42	6.5200	गै.मु.बरडा 6.5200	0.00			
कुल खसरे - 8	62.2400	62.2400				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020




(अशोक सनाइ)
अधिकांशी अभियन्ता
ज.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

staff at
t trained'

In October 2017, the NTCA gave in-principle permission for MHTR and allowed translocation of two females and one male from Ranthambore

life warden for monitoring after the second tigress was relocated from Ranthambore. With no report from top officials, request went unheeded. "The tracking staff at MHTR is not equipped and only received a 15-day training. After the cub was born to MT-4 in April 2017, a request was made to senior officials for translocation. The request was kept in wraps," said a

sources further said choosing the tigress, it has been a careless error, for relocation was wrong at the administrative level.

betigress has a history of its cubs. The tigress was famous as 'light' in Ranthambore. It was born to two cubs in the forest area last year. It was suspected that it was a cub, sources

of Wildlife Warden Arindam Tomar, did respond to the call.

Surcharge of Rs 200 will be levied on this occasion for all tigers except Alwar, Jodhpur, and Udalspur. This Surcharge is in addition to the regular fee printed on the

भारत सरकार



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector H, Aligarh, Lucknow 226024
2324047, 2324025 Email: Env.in.ken@rediffmail.com, forestregionoffice@gmail.com

पत्र सं. एन/एन/17/2018/एन सी/565
दिनांक: 27.10.2018

श्री. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

आयुक्त, वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

Online Proposal No. - FPIRAJ/ROAD/6996/2014

Subject: Construction of 2.5 ha. of forest land construction of road from Banwarbagh to Rana, under RGSMP in Rajasthan

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

विषय: 2.5 हे. वन्य जीव वन संरक्षण एवं वन्य अभिलेखीकरण विभाग, अयोध्या

Bright like new
Now at only ₹

₹



Limited period offer, available in select states
*Tested under lab conditions on select types
benefit may vary as per chlorine levels of water

(अशोक सनाह्य)
अविभाधी अभियन्ता
श्री. वि. वि. खण्ड शाहाबाद



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024 Telefax : 2326696, 2324340,
2324047, 2324025 Email : (Env.)m_env@rediffmail.com, (Forest)goimoeofrolko@gmail.com

दिनांक : 27.12.2018

पत्र सं. 8वी/राज./06/7/2015/एफ.सी./555

सेवा में,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, अरण्य भवन,
झालना इंस्टीट्यूशनल एगिया, जयपुर, राजस्थान

Online Proposal No. - FP/RAJ/ROAD/6996/2014

विषय : Diversion of 2.5 ha. of forest land construction of road from Bhanwargarh to Ranwasi. under RRSMP in Rajasthan in Baran Forest Division.

सन्दर्भ : अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान का पत्रांक - एफ14 (Road)/2016/एफ.सी.ए./ प्रमुवसं./3800.

दिनांक 22.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, राजस्थान का पत्रांक- एफ14(Road)/2016/एफ.सी.ए./पी.सी.सी.एफ/3800. दिनांक 22.10.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी। प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.02.2018 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारांपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद वारन में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत भंवरगढ़ से रनवासी तक सड़क निर्माण हेतु 2.5 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है :-

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.5 हे. पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के लिए खराब हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) को निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
(ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छयाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूर्क वृक्षारोपण, एन.पी.वी. हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
- विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं प्लॉट पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। मक डिस्पोजल योजना कार्य-अनुमति (Working Permission) के पूर्व प्रेषित की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार के वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।
- सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं / वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन

(अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान का पत्रांक - एफ14 (Road)/2016/एफ.सी.ए./ प्रमुवसं./3800. दिनांक 22.10.2018)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : 1013

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

दिनांक : 28/10/2020

विषय :- Diversion of 2.50 ha of forest land for construction of (Online Proposal No :-
FP/RAJ/ROAD/6996/2014) road from Bhanwargarh to Ranwasi under RRSMP in
Raj. In Baran Forest Division.

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवस/2020-21/ 9361 दिनांक 14.10.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

क्र.सं.		
शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.50 है० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.50 है० पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.50 है० पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.50 है० X 164100/- रु. प्रति हैक्टेयर की दर से राशि 410250/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.50 है० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 3	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 3 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये- (2.50 है० X Rs. 6.26 लाख प्रति है०) की दर से राशि रु. 1565000/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है।

	(ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई- रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन.पी.वी हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	(ख) ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई- रसीद की छाया प्रति संलग्न है। (ग) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई राशि के भुगतान को जमा कराने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 4	विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया आयेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।	शर्त संख्या 4 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. लिलरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। मक डिस्पोजल योजना कार्य अनुमति (Working Permission) के पूर्व प्रेषित की जाएगी।	शर्त संख्या 5 के तहत वन क्षेत्र में मक डिस्पोजल योजना बनाकर इस कार्यालय से स्वीकृत कराकर प्रेषित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या 6 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं करने की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	शर्त संख्या 7 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 8	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।	वन विभाग से सम्बन्धित है।
	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये। (श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्रांक 3463 दिनांक 11.04.2019 के क्रम में।)	संलग्न कर दी गई है।


 (अशोक सनाइय)
 अधिशाषी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद